

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

17/11/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वाडिगण उप०।
प्रतिवादी सं. 2 कुर्ने-शायस्ति में अंतिय अवसर दिया
जाकर पत्रावली दिनांक 03/12/2025 को पेश हो।

उप दण्ड अधिकारी
बांदीकई (दोसा)

यदि सं. 2
को 12/12/2025
को 12/12/2025
को 12/12/2025
को 12/12/2025

03/12/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वाडिगण उप०।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी
की एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 23/04/25
एवं दिनांक 18/04/25 को ही चुकी है। प्रतिवादी
सं. 02 का नाम प्रतिवादी सं. 29 पर भी दर्ज
है, इसलिये प्रतिवादी सं. 02 का नाम हटा
किया जाता है। पत्रावली का अवलोकन
किया गया। वाड वाडिगण दावा वकालत
ग्रामिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। वास्ते कुर्नेजात
दिनांक 03/12/2025 को पेश हो।

अपु ह
3/12/25

क० क०
दिया
दिया

उप अधिकारी
कई (दोसा)

क० क०
सर

क० क०

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बाँदीकुई

मुकदमा नम्बर 186/2023

दर्ज दिनांक 10.11.2023

प्राथमिक डिक्री निर्णय दिनांक 03.12.2025

उनवान

1. बाबू लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मण उर्फ लछमन
2. प्रेम देवी पत्नि स्व० श्री लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मण उर्फ लछमन
3. सुखराम पुत्र लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मण उर्फ लछमन
4. हरकेश पुत्र लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मण उर्फ लछमन

समस्त जाति मीना निवासी रामपुरा तहसील बाँदीकुई जिला दौसा।

...वादीगण

बनाम

1. नानगा पुत्र रामसहाय
2. रामवीर पुत्र शंकर
3. सत्यनारायण पुत्र शंकर
4. कजोडमल पुत्र रामलीला
5. किशोर पुत्र लोहडया
6. ग्यारसीलाल पुत्र गंगाधर
7. जन्शी पुत्र लोहडिया
8. नहनूराम पुत्र रामकुँवार
9. बाबूलाल पुत्र कल्याण सहाय
10. लोहडीराम पुत्र बिरदा
11. पूरण पुत्र बिरदा
12. जितेन्द्र पुत्र मीठालाल
13. बंशी पुत्र मीठालाल
14. रिकू पुत्र मीठालाल
15. मन्नी देवी बेवा मीठालाल
16. आशा पुत्री मीठालाल
17. गीता देवी पत्नि स्व० रामदयाल
18. काली पुत्री रामदयाल
19. सपना पुत्री रामदयाल
20. रोशन पुत्री रामदयाल
21. भोरी देवी पत्नि जन्सीराम

24E-



22. मनीष पुत्र रामस्वरूप
23. मूलचन्द पुत्र भगवाना
24. मूली देवी पत्नि रामफुल
25. राकेश पुत्र श्रवण
26. रामकिशन पुत्र गंगाधर
27. रामधन पुत्र रामनारायण
28. रामफुल पुत्र लोहडिया
29. रामवीर पुत्र शंकर
30. लाली पत्नि रामस्वरूप
31. लाली पत्नि रामकिशोर
32. शम्भूदयाल पुत्र भगवाना
33. सत्येन्द्र पुत्र शंकर
34. संतोषीलाल पुत्र प्रभाती लाल

- समस्त जाति मीना निवासी रामपुरा तहसील बाँदीकुई ।
35. आशीन पुत्र रामदयाल नाबालिग जरिये वली कुदरती मां गीता देवी पत्नि रामदयाल जाति मीना निवासी रामपुरा, तह० बाँदीकुई
 36. उपपंजीयन अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय गुढाकटला ।
 37. तहसीलदार/ भूमिधारी तहसील बाँदीकुई
 38. प्रबन्धक बैंक ऑफ बडोदा शाखा गुढलिया ।

...प्रतिवादीगण

दावा तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती

प्राथमिक निर्णय

वाद वादीगण दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का जरिये वकील विरुद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा में पेश किया गया था, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:- ग्राम रामपुरा पटवार हल्का गादरवाडा गूजरान तहसील बाँदीकुई जिला दौसा में स्थित भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 24 पुरानी 22 के खसरा नम्बर 413 रकबा 1.40 है०, खसरा नम्बर 414 रकबा 0.80 है०, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.75 है०, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.70 है०, खसरा नम्बर 418 रकबा 0.23 है०, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.43 है०, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.18 है०, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.16 है०, खसरा नम्बर 527 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 560 रकबा 0.40 है०, खसरा नम्बर 561 रकबा 0.35 है०, खसरा नम्बर 562 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 563 रकबा 0.15 है, खसरा नम्बर 564 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 565 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 566 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 567 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 568 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 569 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 570 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 571 रकबा 0.23 है०, खसरा नम्बर 572 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 573 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 574 रकबा 0.

अथ


25 है०, खसरा नम्बर 575 रकबा 0.25 है०, खसरा नम्बर 583 रकबा 0.13 है०, खसरा
 नम्बर 584 रकबा 0.09 है०, खसरा नम्बर 585 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 586 रकबा 0.
 03 है०, खसरा नम्बर 587 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 592 रकबा 0.04 है०, खसरा
 नम्बर 593 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 594 रकबा 0.07 है०, खसरा नम्बर 595 रकबा 0.
 04 है०, खसरा नम्बर 596 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 597 रकबा 0.58 है०, खसरा
 नम्बर 615 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 616 रकबा 0.09 है०, खसरा नम्बर 617 रकबा 0.
 12 है०, खसरा नम्बर 618 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 619 रकबा 0.09 है०, खसरा
 नम्बर 623 रकबा 0.18 है०, खसरा नम्बर 624 रकबा 0.09 है०, खसरा नम्बर 639 रकबा
 0.18 है०, खसरा नम्बर 640 रकबा 0.18 है०, खसरा नम्बर 642 रकबा 0.14 है०, खसरा
 नम्बर 643 रकबा 0.14 है०, खसरा नम्बर 644 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 645 रकबा 0.
 30 है०, खसरा नम्बर 646 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 647 रकबा 0.20 है०, खसरा
 नम्बर 649 रकबा 0.30 है०, खसरा नम्बर 652 रकबा 0.10 है०, खसरा नम्बर 653 रकबा 0.
 05 है०, खसरा नम्बर 654 रकबा 0.15 है०, खसरा नम्बर 655 रकबा 0.05 है०, खसरा
 नम्बर 656 रकबा 0.06 है०, खसरा नम्बर 657 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 658 रकबा
 0.10 है०, खसरा नम्बर 659 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 660 रकबा 0.10 है०, खसरा
 नम्बर 661 रकबा 0.25 है०, खसरा नम्बर 662 रकबा 0.24 है०, खसरा नम्बर 663 रकबा 0.
 14 है०, खसरा नम्बर 664 रकबा 0.14 है०, कुल किता 65 कुल रकबा 13.57 है० एवम
 भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 129 पुरानी 127 के खसरा नम्बर 102/1029 रकबा 1.26
 है० कुल किता 1 कुल रकबा 1.26 है० वाके रामा कोलवा एवम भूमि खाता संख्या नया 130
 पुराना 128 के खसरा नम्बर 102/1030 रकबा 3.18 है०. खसरा नम्बर 32 रकबा 0.61 है०
 कुल किता 2 स्थित है। उक्त भूमि सहखातेदारी की भूमि है भूमि में वादीगण का भूगि
 खाता संख्या नया 24 में प्रत्येक 1/48, 1/48 वां हिस्सा, खाता संख्या 129 में प्रत्येक
 वादीगण का 1/12, 1/12 वां हिस्सा. एवम खाता संख्या नया 130 में प्रत्येक वादीगण का
 1/12. 1/12 वां हिस्सा है भूमि मुतदाविया जिसका अभी तक विधिवत सरस नरस के
 अनुसार तकासमा नही हुआ है जिसको मौके पर बाहमी तौर बांट रखा है तथा वादीगण
 अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि पर काशत कर मुफीद होता चला आ रहा है लेकिन
 भूमि का तकासमा नहीं होने के कारण आये दिन पक्षकारान में कमती ज्यादा भूमि को
 लेकर व फसल बोते समय व काटते समय व लगान जमा कराते समय आपस में विवाद हो
 जाता है ऐसी सूरत में भूमि मुतदाविया का कब्जे के अनुसार सरस नरस के अनुसार कब्जे
 के अनुसार तकासमा किया जाकर वादीगण के हिस्से का अलग चक व अलग खाता
 कायम किया जाकर अलग अलग चक व अलग लगान व अलग अलग खाते कायम किये
 जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावें। वादीगण के पिता/पति का सही नाम
 लक्ष्मीनारायण है जो वादीगण के आधारकार्ड, पहचान पत्र राशनकार्ड आदि में दर्ज है
 जबकि वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से घर में बोलता नाम लक्ष्मण
 एवं लक्ष्मन दर्ज कर दिया जो कि गलत है, जिसको दुरुस्त किया जाकर वादीगण के

अपे-

पिता/पति का सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में लक्ष्मण, लछमन के स्थान पर लक्ष्मीनारायण दर्ज किया जाना आवश्यक है।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण करवाई गयी। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 38 की जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलबी होने के बाद भी उपस्थित नहीं। एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वाद को प्राथमिक डिक्री करने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश ग्राम रामपुरा जमाबंदी खाता सं. नया 24 में प्रत्येक 1/48, 1/48 वा हिस्सा, खाता संख्या 129 में प्रत्येक वादीगण का 1/12, 1/12 वां हिस्सा एवं खाता संख्या नया 130 में प्रत्येक वादीगण का 1/12, 1/12 वां हिस्सा है। वादग्रस्त भूमी वादी की सहखातेदारी भूमी होना प्रतीत होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार संयुक्त खातेदारी भूमी का तकास्मा किया जा सकता है इसलिए वादीगण तकास्मा कराने के अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी वाद दावा तकास्मा प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादीगण वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरुस्ती प्राथमिक डिक्री स्वीकार किया जाकर भूमी खतौनी सं. नयी 24 पुरानी 22 के खसरा नं. 413 लगा0 416, 418, 419, 422, 423, 527, 560 लगा0 575, 583 लगा0 587, 592 लगा0 597, 615 लगा0 619, 623, 624, 639, 640, 642 लगा0 647, 649, 652 लगा0 664 कुल किता 65 कुल रकबा 13.57 है0 स्थित ग्राम रामपुरा तहसील बांदीकुई एवं भूमि खाता सं. नया 129 पुराना 127 के खसरा नं. 102/1030 रकबा 3.18 है0, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.61 है0 कुल किता 2 स्थित ग्राम कोलवा में तहसीलदार बांदीकुई मौके पर उपस्थित होकर पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौका कब्जा रास्ते आदि का ध्यान रखते हुये सरस-नरस के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में भिजवायें। एवं वादीगण के पिता के नाम की शुद्धि के संबंध में रिपोर्ट भिजवायें। प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 03.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई